मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड न. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

Phone : +91-755-2578801-02, Fax: +91-755-2550498, website: www.esb.mp.gov.in, E-Complaint Id : Complaint.esb@mp.gov.in

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025, 1386/2025 में पारित आदेश दिनांक 01 सितंबर 2025 के अनुसार

प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026

परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र		
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि :21-08-2026	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 04-09-2026	
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि:21-08-2026	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 09-09-2026	
परीक्षा दिनांक व दिन	12-10-2026, सोमवार **से प्रारंभ**	
परीक्षा शुल्क		
सेवारत शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा	**सभी श्रेणी/संवर्ग के आवेदकों हेतु परीक्षा शुल्क**	रू. 1,000/- प्रति प्रश्न पत्र
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम पी आनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा।		

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	**परीक्षा की पाली**	**अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय**	**महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय**	**उत्तर अंकित करने का समय**
12-10-2026, सोमवार **से प्रारंभ**	प्रथम	प्रातः 8:00 से 9:00 बजे तक	09:50 से 10:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:00 से 12:30 बजे तक (2:30 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से 2:00 बजे तक	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:30 बजे तक (2:30 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु. आई. डी. ए. आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड /आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर /आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं | परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है ।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है । **बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए ।**
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल वॉच, सन ग्लासेस एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी ।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । अतःकम्प्युटर आधारित online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (Eligibility)पूर्णत प्राविधक (Provisional) होगी |

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. यूसीआर/सी/85/टीईटी/2026/1305, दिनांक 04/07/2026 एवं पत्र क्रं. यूसीआर/सी/85/टीईटी/2026/1403, दिनांक 15/07/2026 तथा कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. /शि. स्था-3/ई-1454268/2025/14986, दिनांक 07/08/2026 के तहत :-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025, 1386/2025 में पारित आदेश दिनांक 01 सितंबर 2025 के अनुसार

प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026

परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका

विषय-सूची

स. क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (सेवारत शिक्षकों हेतु) - 2026 विभागीय नियम, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम	03 - 13
2.	2	माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (सेवारत शिक्षकों हेतु) - 2026 विभागीय नियम, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम	14 - 29
3.	3	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	30 - 39

अध्याय-01

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (सेवारत शिक्षकों हेतु) नियमपुस्तिका एवं पाठ्यक्रम

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025, 1386/2025 तथा अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का आपरेटिव्ह पैरा निम्नानुसार :-

216. Bearing in mind their predicament, we invoke our powers under Article 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than five years' service left, as on date, may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET. However, we make it clear that if any such teacher (having less than five years' service left) aspires for promotion, he will not be considered eligible without he/she having qualified the TET.

217. Insofar as in-service teachers recruited prior to enactment of the RTE Act and having more than 5 years to retire on superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify the TET within 2 years from date in order to continue in service. if any of such teachers fail to qualify the TET within the time that we have allowed, they shall have to quit service. They may be compulsorily retired; and paid whatever terminal benefits they are entitled to. We add a rider that to qualify for the terminal benefits, such teachers must have put in the qualifying period of service, in accordance with the rules. If any teacher has not put in the qualifying service and there is some deficiency, his/her case may be considered by the appropriate department in the Government upon a representation being made by him/her.

218. Subject to what we have said above, it is reiterated that those aspiring for appointment and those in-service teachers aspiring for appointment by promotion must, however, qualify the TET, or else, they would have no right of consideration of their candidature

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन डायरी नम्बर 53434/2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु समयावधि 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दी गई, पारित आदेश का आपरेटिव्ह पैरा निम्नानुसार है :-

Appreciating that the TET examination must be conducted by the relevant authorities expeditiously as well as the time and resources required for the same are limited, we alter and extend the timeline granted in paragraph 217 of Anjuman (supra) for in-service teachers to acquire the TET qualification from 2 (two) to 3 (three) years, ie., the qualification has to be obtained by 31st August, 2028 instead of 31st August, 2027, as originally directed.

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुसार ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के हैं, को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31 अगस्त 2028 के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उक्त के क्रम में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है।

1. इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तर के ऐसे सभी शिक्षक (सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापक / संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 / प्रयोगशाला सहायक / प्राथमिक शिक्षक विज्ञान / सहायक शिक्षक विज्ञान) सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओ में अध्यापन करने वाले ऐसे शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, भी सम्मिलित हो सकेंगे।

2. यह पात्रता परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। अतः इसकी पात्रता/परीक्षा परिणाम, भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा।

3. परीक्षा केन्द्र - कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा निर्धारित होंगे।

4. शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्ति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (1)	अन्य (2)
50%	60%

5. परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है।

अपर संचालक
लोक शिक्षण म. प्र.

अपर संचालक
जनजातीय कार्य, म. प्र.

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (सेवारत शिक्षकों हेतु) - 2026 हेतु

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

परीक्षा योजना (Scheme of Exam)

1. पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.30 घंटे होगी।
2. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।
3. पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे और एक विकल्प सही होगा।
4. परीक्षा की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content) निम्नानुसार होगी-

भाग	विषयवस्तु (सभी अनिवार्य)	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
i	बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development & (Pedagogy)	30	30
ii	भाषा-1 (Language-1)	30	30
iii	भाषा-2 (Language-ii)	30	30
iv	गणित (Mathematics)	30	30
v	पर्यावरण अध्ययन (Environmental Study)	30	30
	कुल	150	150

5. प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर (Nature and Standard of Questions) निम्नानुसार होगा-

i. बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र के प्रश्न 6-11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फेसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।

ii. भाषा-1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में कुशलता (Proficiency) पर आधारित होंगे।

iii. भाषा-2, भाषा-1 से पृथक होगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा-2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे।

iv. गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और शिक्षा शास्त्र (Pedagogy) की समझ पर आधारित होंगे।

6. प्रश्न पत्र में प्रश्न म.प्र. राज्य के कक्षा 1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं सम्बद्धता हाईस्कूल स्तर तक की हो सकती है।
7. उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम आगे दिया गया है -

विस्तृत पाठ्यक्रम

बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (child Development & Pedagogy)	30 प्रश्न

(अ) बाल विकास	15 प्रश्न

- बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ।
- विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
- बाल विकास के सिद्धांत।
- बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव।
- समाजीकरण प्रक्रियाएं : सामाजिक जगत एवं बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, पावलव, कोहलर और थार्नडाइक: रचना एवं आलोचनात्मक स्वरुप।
- बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा ।
- बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरुप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि।
- व्यक्तित्व और उसका मापन।
- भाषा और विचार।
- सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंगभेद और शैक्षिक प्रथाएं।
- अधिगम कर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ।
- अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन: स्वरुप और प्रथाएं (मान्यताएं)
- अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षाकक्ष में अधिगम को बढ़ाने आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए।

(ब) समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ	5 प्रश्न

- अलाभान्वित, एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान।
- अधिगम कठिनाइयों, 'क्षति' आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान।
- प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान।
- समस्याग्रस्त बालकः पहचान एवं निदानात्मक पक्ष ।
- बाल अपराधः कारण एवं प्रकार

(स) अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागाजी)	10 प्रश्न

- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ।
- समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक-अन्वेषक के रूप में बच्चा ।
- बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना । अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकः अवधान और रुचि ।
- संज्ञान और संवेग
- अभिप्रेरणा और अधिगम
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक - व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- निर्देशन एवं परामर्श
- अभिक्षमता और उसका मापन
- स्मृति और विस्मृति

हिन्दी भाषा (Hindi Language)	30 प्रश्न

(अ) भाषायी समझ / अवबोध	15 प्रश्न

भाषायी समझ/ अवबोध के लिए दो अपठित दिए जायेंगे, जिसमें एक गद्यांश (नाटक/एकांकी /घटना/निबंध/कहानी/आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में होगा, इस अपठित में से समझ/अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जायेगें। गद्यांश साहित्यिक/ वैज्ञानिक/सामाजिक समरसता/ तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं।

(ब) भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र	15 प्रश्न

- भाषा सीखना और ग्रहणशीलता ।
- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त ।
- भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं।
- मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका ।
- भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों, कठिनाइयाँ त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता
- भाषा के चारों कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) का मूल्यांकन ।
- कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार (दृश्य एवं श्रव्य) सामग्री, बहुकक्षा स्रोत ।
- पुनः शिक्षण ।

अंग्रेजी भाषा (English Language)	30 प्रश्न

a. Comprehension	15 Questions

Two unseen prose passages (discursive or literary or narrative or scientific) with questions on comprehension, grammar and verbal ability.

b. Pedagogy of language development	15 questions

- Learning and acquisition of language
- Principles of second language teaching
- Language skills-listening, speaking, reading, writing
- Role of listening and speaking, function of language and how children use it as a tool
- The role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form
- Challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties
- Teaching learning materials, text book, multi-media materials multi-lingual resource of the classroom
- Evaluating language comprehension and proficiency: listening, speaking, reading and writing
- Remedial teaching (Re-teaching)

संस्कृत भाषा (Sanskrit Language)	30 प्रश्न

(अ) भाषायी समझ / अवबोध	15 प्रश्न

भाषायी समझ/ अवबोध के लिए दो अपठित दिए जायेगें जिसमें एक गद्यांश (नाट्यांश/निबंध/कथा आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में होगा, इन अपठित में से समझ/अवबोध, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जायेगें। गद्यांश साहित्यिक/सामाजिक समरसता/तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकता हैं।

(ब) भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र	15 प्रश्न

- भाषा सीखना और ग्रहणशीलता ।
- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त ।
- भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं।
- मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका ।
- भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता ।
- भाषा के चारों कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना) का मूल्यांकन।
- कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार (दृश्य एवं श्रव्य) सामग्री, बहुकक्षा स्रोत|

- पुनः शिक्षण

उर्दू भाषा (Urdu Language)	30 प्रश्न

1. जामे सलाहियत पर मबनी सवालात	15 सवालात

- दो गैर दरसी इक्तिबासात (मालूमाती/अदबी/बयानिया/साइंसी)
- सलाहियत पर मबनी सवालात, कवायद, और ज़बानी सलाहियत पर मबनी सवालात

2. ज़बान के नशवोनुमा और तदरीसी तरीके	15 सवालात

- सीखना और यादरखना।
- ज़बान की तदरीस के अमूल।
- ज़बान में सुनने और बोलने की एहमियत, ज़बान का काम और बच्चों के जरिए जुबान की महारतों का इस्तेमाल।
- ज़बान सीखने और खयालात का ज़बानी और तहरीरी इज़हार करने में कवायद (ग्रामर) के रोल का तनक़ीदी जायज़ा।
- क्लास रूम में मुखतलिफ तालीमी इस्तेदाद वाले बच्चों की ज़बान की मुश्किलात, गल्तियों और बेतरतीबियों के चैलेंज को कुबूल करते हुए ज़बान पढ़ाना।
- ज़बान की महारतें।
- ज़बान की सलाहियत और ज़बान पर उबूर के तजज़िए के लिए बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना।
- तालीमी इम्दादी अशिया (TLM) दरसी कुतुब और मल्टी मीडिया मेटीरियल, क्लास रूम में मुहैया मुखतलिफ ज़बानों का मवाद।
- तदारकी तदरीस।

निसाबी मोज़ूआत

- असनाफे नस्त्र - कहानी, मालूमाती मज़ामीन, ड्रामा, मकालमा
- असनाफे नज्म नज्म, गीत
- ग्रामर -इस्म, ज़मीर, फ़ेअल, सिफत, मेय क़िस्में जिंस, जमाना, जुम्ले व मुहावरे, वाहिदजमा, मुज़क्कर, मोअन्नस, तज़ाद, नज्म गीत वगेरह की तारीफ
- ख़तूत और दरख़्वास्त नवीसी
- गैर दरसी इक्तिबास
- मज़मून नवीसी

गणित (Mathematics)	30 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु (Content)	15 प्रश्न

- संख्या पद्धति 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना व लिखना, 1000 से बडी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ व चार मूलभूत संक्रियाएँ ।
- जोड़ना व घटाना-पाँच अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना व घटाना ।
- गुणा- 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना ।
- भाग- दो अंकों वाली संख्या से चार अंकों वाली संख्या में भाग देना।
- भिन्न-भिन्न की अवधारणा, सरलतम रूप, समभिन्न, विषम भिन्न आदि भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग, समतुल्य भिन्न, भिन्न को दशमलव मे तथा दशमलव संख्या को भिन्न में लिखना।
- सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाई में संबंध ।
- बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना
- ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना ।
- पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में चार मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना ।
- मीटर को सेंटीमीटर एवं सेंटीमीटर को मीटर मे बदलना ।
- पैटर्न- संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण, त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न पहचानना।
- ज्यामिति- मूल ज्यामितीय अवधारणायें, किरण, रेखाखण्ड, कोण (कोणों का वर्गीकरण), त्रिभुज, त्रिभुजों का वर्गीकरण (1) भुजाओं के आधार पर (2) कोणों के आधार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180° होता है।
- वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान व समझ |
- वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध, सममित आकृति, परिवेश आधार पर समानान्तर रेखा व लम्बवत रेखा की समझ ।
- सरल ज्यामितीय आकृतियों (त्रिभुज, आयत, वर्ग) का क्षेत्रफल तथा परिमाप दी गई आकृति को इकाई मानकर ज्ञात करना ।
- परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान |
- दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आकड़ों को एकत्र करना ।
- घड़ी के समय को घंटे तथा मिनिट में पढ़ना तथा AM और PM के रूप में व्यक्त करना
- 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध
- दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना |
- गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान ।
- सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न |

- दण्ड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना ।

(ब) शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे-	15 प्रश्न

- गणित शिक्षण द्वारा चिन्तन एवं तर्कशक्ति का विकास करना।
- पाठ्यक्रम में गणित का स्थान
- गणित की भाषा
- प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना
- मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना।
- गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता

पर्यावरण अध्ययन (Environmental Study)	30 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु (Content)	20 प्रश्न

1. हमारा परिवार, हमारे मित्र-

- परिवार और समाज से सहसंबंध - परिवार के बड़े-बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता ।
- हमारे पशु, पक्षी- हमारे पालतू पशु-पक्षी, माल वाहक पशु, हमारे आस-पास के परिवेश में जीव-जन्तु एवं जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव ।
- हमारे पेड़-पौधे -स्थानीय पेड़-पौधे, पेड़-पौधों एवं मनुष्यों की अन्तःनिर्भरता, वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता और महत्त्व, पेड़-पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव ।
- हमारे प्राकृतिक संसाधन - प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्त्रोत।

2. खेल एवं कार्य

- खेल, व्यायाम और योगासन।
- पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन किताबें, कहानियाँ, कठपुतली प्ले, मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालय में मनाया जाना ।
- विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय।

3. आवास

- पशु, पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास, आवास की आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएँ।
- स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल।

- उतम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना करना।
- शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ-सफाई और अच्छी आदतें ।

4. हमारा भोजन और आदतें

- भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक।
- फल एवं सब्जियों का महत्त्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल, सब्जियाँ ।
- भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्य वर्धक संयोजन।
- विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन और उनको ग्रहण करने का सही समय ।
- उतम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय।
- खाद्य संसाधनों की सुरक्षा

5. पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण

- जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता।
- स्थानीय मौसम, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका ।
- पानी के स्रोत, उसके सुरक्षित रखरखाव और संरक्षण एवं पोषण के तरीके।
- संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार और बचाव, अन्य संक्रामक रोग।
- हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण और उससे सुरक्षा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों और उनका प्रबंधन, उचित निस्तारण
- भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय, आपदा प्रबंधन
- प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन संसाधनों का उचित दोहन, डीजल, पेट्रोलियम खपत एवं संपोषण आदि।

6. प्राकृतिक वस्तुएं और उपज

- मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक रासायनिक खाद।
- विभिन्न फसलें, उनके उत्पादक क्षेत्र।
- फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण

7. मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव

- वनों की कटाई और शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव
- ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि के वैज्ञानिक कारण एवं निदान।
- पालिथिन, प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटक अपमार्जक
- जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव।

- आपदा प्रबंधन

8. अंतरिक्ष विज्ञान

- अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव।
- अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनायें।
- अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणियां ।

(ब) पेडागॉजिकल मुद्दे	10 प्रश्न

- पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता।
- पर्यावरण अध्ययन का महत्त्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा ।
- पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व ।
- पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध।
- अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ और गतिविधियाँ।
- परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्त्व।
- चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतीकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना।
- सतत-व्यापक मूल्यांकन - शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट्स एवं एनेक्डॉटल रिकार्ड का प्रयोग, बच्चे की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी और व्यक्तिगत प्रोफाईल से शिक्षण व्यवस्थाएँ।
- पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री /सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग।
- स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएँ और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास।

अपर संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

--00--

अध्याय-02

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (सेवारत शिक्षकों हेतु) नियमपुस्तिका एवं पाठ्यक्रम

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025, 1386/2025 तथा अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का आपरेटिव्ह पैरा निम्नानुसार :-

216. Bearing in mind their predicament, we invoke our powers under Article 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than five years' service left, as on date, may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET. However, we make it clear that if any such teacher (having less than five years' service left) aspires for promotion, he will not be considered eligible without he/she having qualified the TET.

217. Insofar as in-service teachers recruited prior to enactment of the RTE Act and having more than 5 years to retire on superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify the TET within 2 years from date in order to continue in service. If any of such teachers fail to qualify the TET within the time that we have allowed, they shall have to quit service. They may be compulsorily retired, and paid whatever terminal benefits they are entitled to. We add a rider that to qualify for the terminal benefits, such teachers must have put in the qualifying period of service, in accordance with the rules. If any teacher has not put in the qualifying service and there is some deficiency, his/her case may be considered by the appropriate department in the Government upon a representation being made by him/her.

218. Subject to what we have said above, it is reiterated that those aspiring for appointment and those in-service teachers aspiring for appointment by promation must, however, qualify the TET, or else, they would have no right of consideration of their candidature

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन डायरी नम्बर 53434/2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु समयावधि 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दी गई, पारित आदेश का आपरेटिव्ह पैरा निम्नानुसार है :-

Appreciating that the TET examination must be conducted by the relevant authorities expeditiously as well as the time and resources required for the same are limited, we alter and extend the timeline granted in paragraph 217 of Anjuman (supra) for in-service teachers to acquire the TET qualification from 2 (two) to 3 (three) years, ie., the qualification has to be obtained by 31st August, 2028 instead of 31st August, 2027, as originally directed.

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुसार ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के है, को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31 अगस्त 2028 के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उक्त के क्रम में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है।

1. इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्‌यालयों के माध्यमिक स्तर के ऐसे सभी शिक्षक (शिक्षक/ माध्यमिक शिक्षक / अध्यापक संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2) सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके द्‌वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्‌यालयों में माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन करने वाले ऐसे शिक्षक, जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, भी सम्मिलित हो सकेंगे।

2. यह पात्रता परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्‌वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। अतः इसकी पात्रता/परीक्षा परिणाम, भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा।

3. परीक्षा केन्द्र - कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्‌वारा निर्धारित होंगे।

4. शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्ति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (1)	अन्य (2)
50%	60%

5. परीक्षा की योजना एवं पाठ्‌यक्रम पृथक से संलग्न है।

अपर संचालक
लोक शिक्षण म. प्र.

अपर संचालक
जनजातीय कार्य, म. प्र.

परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम- माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (सेवारत शिक्षकों हेतु)

1. सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे ।
2. पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2:30 घंटे होगी।
3. पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे एक विकल्प सही होगा।
4. **प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।**
5. प्रश्नपत्र के दो भाग होंगे। भाग अ एवं भाग ब । भाग अ, सभी के लिए अनिवार्य होगा भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयो में से किसी एक विषय का चयन करना होगा ।
6. भाग अ के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा-

भाग	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
(i)	भाषा-1 (Language-I) (हिन्दी, Hindi / संस्कृत Sanskrit)	08 MCQ	08 Marks
(ii)	भाषा-2- सामान्य अंग्रेजी	05 MCQ	05 Marks
(iii)	सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम , तार्किक एवं आंकिक योग्यता	07 MCQ	07 Marks
(iv)	शिक्षाशास्त्र (Pedagogy)	10 MCQ	10 Marks
	कुल	30 MCQ	30 Marks

7. भाग ब- 120 अंक का होगा एवं इस प्रश्नपत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्नपत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

क्र.	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
1	हिन्दी भाषा	120 प्रश्न	120 अंक
2	अंग्रेजी भाषा	120 प्रश्न	120 अंक
3	संस्कृत भाषा	120 प्रश्न	120 अंक
4	उर्दू भाषा	120 प्रश्न	120 अंक
5	गणित	120 प्रश्न	120 अंक
6	विज्ञान	120 प्रश्न	120 अंक

क्र.	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
7	सामाजिक विज्ञान	120 प्रश्न	120 अंक

8. विषयवस्तु का स्तर

- प्रश्नपत्र के भाग अ में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागाजी की विषयवस्तु का स्तर हायरसेकेण्डरी स्कूल स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा । हिन्दी व अंग्रेजी की विषयवस्तु का स्तर हायरसेकेण्डरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा।
- प्रश्नपत्र के भाग ब की विषयवस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्नपत्र में प्रश्न म.प्र. राज्य के कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषयवस्तु पर आधारित होगें लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता (लिंकेज) स्नातक स्तर का होगा । प्रश्नपत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागाजी की समझ पर आधारित होंगे।

अपर संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

विस्तृत पाठ्यक्रम

हिन्दी भाषा (Hindi Language)/ संस्कृत	8 प्रश्न

भाषायी समझ अवबोध-

भाषायी समझ / अवबोध के लिए दो अपठित दिए जायेंगे जिसमें एक गद्यांश (नाटक एकांकी / घटना/ निबंध / कहानी / आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में होगा। इस अपठित में से समझ / अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जायेंगे । गद्यांश साहित्यिक/ वैज्ञानिक/ सामाजिक समरसता/ तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं।

अंग्रेजी भाषा (English Language)	5 प्रश्न

1. Reading Comprehension
   - Two short passages followed by short answer type questions.
2. Vocabulary
   (Level-X standard)
   - One word substitution
   - Opposites
   - Synonyms
   - phrases
   - idioms/proverbs
3. Functional Grammar:
   (Level-X standard)
   - Articles
   - Modals
   - Determiners
   - Noun/ Pronoun
   - Adjective/Adverb
   - Narration
   - Prepositions
   - Tenses
   - Transformation of sentences
   - Voices

सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता	7 प्रश्न

सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम (General Knowledge & Current Affairs) समसामयिक मामले / राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि, भारतीय राजनीति व शासन तंत्र-संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायतीराज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार आदि। **आर्थिक व सामाजिक विकास - सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक**

क्षेत्रों में पहले आदि। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैवविविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्यप्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति। मध्यप्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास।

Current Affairs/events of national and international Importance, History of India and Indian National Movements, Indian and World Geography- Physical, Social, Economic geography of India and the World etc. Indian Polity and Governance Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public Issues, Articles, Rights etc. Economic and Social development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector initiatives etc- General issues on Environment, Ecology, Biodiversity, Climate change, General science- Indian culture, national and international, sports, History, geography, and political science of Madhya Pradesh, economic and social development of Madhya Pradesh.

2. तार्किक एवं आंकिक योग्यता Reasoning and Numerical Ability

अ. तार्किक योग्यता- सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक / तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग व डिकोडिंग, स्थिति जन्य तर्क, श्रृंखलाव पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हो।

ब. आंकिक योग्यता दो एवं तीन आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न संख्या पैटर्न, श्रंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान (संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण का क्रम आदि), अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या (आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, आदि), विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या ।

A) Reasoning Ability - General Mental/ Analytical Ability, Verbal / Logical reasoning, Relations & Hierarchies, Analogies, Assertion, Truth Statements, Coding & Decoding, Situational Reasoning, Series & Patterns involving words & Alphabets.

B) Numerical ability – Two and Three dimensional/ Venn diagrams based questions, number patterns series sequences, basic numeracy (numbers and their relations, order of magnitude etc.), Arithmetic aptitude data interpretation (Charts, Graphs or Tables data sufficiency etc.), Direction sense, Analysis and interpretation in various contexts.

बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र - 10 प्रश्न

- बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ।
- विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ।
- बाल विकास के सिद्धांत।
- बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव।
- समाजीकरण प्रक्रियाएं सामाजिक जगत एवं बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
  - पियाजे, पावलव, कोहलर और थार्नडाइकः रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप।
  - बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा ।
  - बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि।

- व्यक्तित्व और उसका मापन।
- भाषा और विचार।
- सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंगभेद और शैक्षिक प्रथाएं।
- अधिगम कर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ ।
- अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकनः स्वरूप और प्रथाएं (मान्यताएं)

अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागाजी)

- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाए, बच्चों के अधिगम की रणनीतियों, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ।
- समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक- अन्वेषक के रूप में बच्चा । बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकः अवधान और रुचि ।
- संज्ञान और संवेग
- अभिप्रेरणा और अधिगम
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- निर्देशन एवं परामर्श
- अभिक्षमता और उसका मापन) स्मृति और विस्मृति

समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ

- अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान
- अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान ।
- प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगतकर्त्ताओं की पहचान।
- समस्याग्रस्त बालकः पहचान एवं निदानात्मक पक्ष ।
- बाल अपराध- कारण एवं प्रकार

गणित (Mathematics)	120 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु (content)

1. संख्या पद्धति-
   - प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक की पहचान एवं समझ यूक्ति विभाजन प्रमेयिका
   - परिमेय संख्या की समझ एवं इन पर संक्रियाएँ, अपरिमेय संख्याए
   - घातांक एवं परिमेय घातांको के लिए घातांक के नियमों का अनुप्रयोग
   - बहुपद एवं परिमेय व्यंजक
2. बीजगणित-
   - बीजीय व्यंजक एवं इन पर संक्रियाएँ
   - अनुपात समानुपात, एकिक नियम, प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती विचरण,चक्रवृद्धि ब्याज
   - अनुपात समानुपात, किस्त, लघुगणक
   - एक चर राशि का एक घातीय समीकरण
   - दो चर राशियों का रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि
3. ज्यामिति-
   - मूल ज्यामितीय अवधारणाएँ क्षेत्रफल
   - त्रिभुज के गुणधर्म, पाइथागोरस प्रमेय
   - कोण
   - सममिति की अवधारणा
   - वृत
   - समरूप त्रिभुज
4. त्रकोणमिति

5 त्रिकोणमिति का परिचय एवं अनुप्रयोग

5. रचनाएँ-
   - त्रिभुज की रचना रेखाखंड का विभाजन
   - चतुर्भुज की रचना
6. क्षेत्रमिति-
   - आयाताकार पथ का क्षेत्रफल
   - पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन
   - वृत का क्षेत्रफल द्विघात समीकरण , समांतर श्रेणियाँ
7. सांख्यिकी
   - दण्ड आलेख
   - आयात चित्र

- माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना
- आवृत्ति संचयी आवृत्ति वृत्त चित्र, आवृत्ति बहुभुज खीचना

8. ब्रह्माण्ड
9. मापन- समय, ताप, लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन द्रव्यमान का मापन।
10. पदार्थ-पदार्थ की अवस्थाएँ, पदार्थ के गुण, पदार्थों की पृथक्करण की विधियाँ, धातु-अधातु, अणु परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण एवं उनके गुण
11. बल, गति एवं दाब
12. कार्य ऊर्जा और मशीन
13. ताप एवं उष्मा

ब) शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे-

- गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्कशक्ति का विकास
- पाठ्यक्रम में गणित का स्थान
- गणित की भाषा
- प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना।
- मूल्यांकन की नवीन विधियाँ तथा निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास।

विज्ञान (science)	120 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु (content)

1. ब्रह्माण्ड
2. मापन- समय, ताप, लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन द्रव्यमान का मापन
3. पदार्थ पदार्थ की अवस्थाएँ, पदार्थ के गुण, पदार्थों की पृथक्करण की विधियाँ, धातु-अधातु, अणु परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण एवं उनके गुण
4. भोजन एवं स्वास्थ्य- भोजन के स्त्रोत, भोजन के घटक, भोज्य पदार्थों का संरक्षण, भोजन एवं स्वास्थ्य पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन
5. सजीव जगत- वर्गीकरण, संरचना, जैविक प्रक्रियाएँ अनुकूलन, जैव उत्पति मानव शरीर विज्ञान, शरीर क्रियात्मकता कोशिका, संरचना एवं कई अनुवांशिक तथा विकास
6. बल, गति एवं दाब
7. कार्य ऊर्जा और मशीन
8. ताप एवं उष्मा
9. हमारे आसपास का वातावरण भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कार्बन-अपररूप, हाइड्रोकार्बन

10. प्राकृतिक घटनाएँ- प्रकाश, ध्वनि

11. वस्तुएँ कैसे काम करती है- चुम्बक, विदयुत एवं विद्युत धारा

12.प्राकृतिक संसाधन

13. खाद्य उत्पादन और प्रबंधन

14.पर्यावरण

ब) शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे-

- विज्ञान के उद्देश्य
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ।
- महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धान्तों से अवगत कराना।
- विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास करना।
- अवलोकन, प्रयोग करना, खोज।
- विज्ञान विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करना।
- प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना।
- मूल्यांकन की नवीन विधियों तथा निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास।

सामाजिक विज्ञान (Social Science)	120 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु

- इतिहास
- इतिहास जानने के स्त्रोत, आदिमानव का विकास व पाषाणकाल हड़प्पा व वैदिककालीन सभ्यता, जैन व बौद्ध धर्म मौर्य, गुप्त व हर्षकाल, विदेशों से सम्पर्क व भारत के संबंध तथा सामाजिक व आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव।
- मध्यस्थलः का प्रारम्भ व इतिहास जानने के संगीत, मौहम्मद गौरी व मुहम्मद गजनवी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत- खिलजी वंश, तुगलक वंश व लोदी वंश के संदर्भ में, सल्तनतकालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति। मुगलकाल का संक्षिप्त परिचय (प्रमुख शासक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन तथा संगीत, चित्रकला व वास्तुकला) मुगलकाल का पतनः । विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य मराठा व सिक्ख शक्ति का उदय ।
- भारत में यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों का आगमन, सता के लिए उनके आपसी संघर्ष ब्रिटिश कम्पनी की सफलता व साम्राज्य विस्तार, 1857 का स्वतंत्रता संग्रामा धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण भारतीय राष्ट्रीय कार्यस की स्थापना, उद्देश्य संघर्ष व महत्व, उदारवाद एवं अनुदारवाद, राष्ट्रीय आन्दोलन असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन में क्रांतिकारियों का योगदाला स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजना स्वतंत्रता आन्दोलन में म.प्र. का योगदान।

- स्वातंत्रोतर भारत की प्रमुख घटनाए- कश्मीर समस्या, 1962 का चीन युद्ध, 1965 एवं 1971 का भारत पाक युद्ध, भारत में आपातकाल, भारत का अधिक शक्ति के रूप में उदय
- नागरिक शास्त्र
- परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्रीय प्रतीक, स्थानीय स्वशासन (ग्रामीण व नगरीय संस्थाए)
- भारतीय संविधान विशेषताएँ नागरिक के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, बाल एवं मानव अधिकार, मानव अधिकार आयोग संघीय व्यवस्थापिका लोकसभा, राज्य सभा, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रि परिषद सर्वोच्च व उच्च न्यायालय गठन शक्तियाँ, (कार्य राज्य सरकार राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद निर्वाचन आयोग कार्य एवं शक्तियाँ निर्वाचन की क्रिया।
- प्रजातंत्र कार्यप्रणाली, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व और कार्य
- प्रजातंत्र की प्रमुख चुनौतिया निरक्षरता, सम्प्रदायवाद क्षेत्रवाद बेरोजगारी आतंकवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, संवैधानिक संरक्षण भारत की विदेश नीति व पड़ोसी देशों से संबंध, संयुक्त राष्ट्र और भारत का योगदान
- भूगोल
- सौरमंडल, अक्षाश व देशान्तर रेखाएं, ग्लोब व मानचित्र
- स्थलमंडल पृथ्वी की गतियां ऋतु परिवर्तन परिवर्तनकारी बाहय व आन्तरिक शक्तियां व उनके कार्य। मृदा संरक्षण
- वायुमंडल वायुमंडल का संगठन, वायुदाब |
- जलमंडल लहरे, धाराएं ज्वार-भाटा, वर्षा प्रमुख महासागर |
- भारत स्थिति विस्तार, भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जीवजन्तु, खनिज एवं उद्योग शक्ति संसाधन प्रमुख फसले, परिवहन के साधन, जनसंख्या व उसका वितरण।
- समस्त महाद्वीप अक्षांशीय व देशान्तरीय विस्तार धरातलीय संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीवजन्तु, खनिज एवं उद्योग शक्ति संसाधन, प्रमुख फसले, परिवहन के साधन, प्रमुख देशा पर्यावरण प्रदूषण के कारण व उपाय, औद्योगिक अपशिष्ट व उसका प्रबंधन, आपदा प्रबंधन
- अर्थशास्त्र

आर्थिक विकास, भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियाँ आर्थिक प्रणाली एवं वैश्वीकरण मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली ।

पंचवर्षीय योजनाएँ एवं भारत का कृषि विकास। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षा सेवा क्षेत्र, उपभोक्ता संरक्षण।

- (ब) शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे-
- सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा
- कक्षागत प्रक्रियाएँ गतिविधियाँ एवं परिचर्चा।
- विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास।

मुख्य भाषा हिन्दी (Hindi)	120 प्रश्न

(अ) भाषायी समझ / अवबोध-

1. वाक्य बोध/ भाषा बोध-

- विराम चिन्ह और उनका अनुप्रयोग
- वाक्य रचना शुद्ध वाक्य रचना, वाक्य परिवर्तन वाक्य के प्रकार (रचना, अर्थ, वाच्य के आधार पर), वाक्य बोध।
- मुहावरे लोकोक्तियां और उनका वाक्यों में प्रयोग बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा

2. काव्य बोध-

- काव्य परिभाषा, काव्य भेद (प्रबंधकाव्य, मुक्तककाव्य), काव्य गुण
- शब्द शक्ति
- छंद- मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, कुण्डलियाँ, घनाक्षरी, मन्दाक्रांता, छप्पय, कवित, सवैया (मतगयंद दुर्मिल)
- अलंकार- यमक, श्लेष, व्याजस्तुति, व्याजनिन्दा, विभावना, विशेषोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, अपह्नुती।
- रस परिचय, अंग, रसभेद ।

3. अपठित बोध-

गद्यांश/पद्यांश (शीर्षक, व्याख्या, सारांश)

4. निबंध लेखन-

सामाजिक, सांस्कृतिक, समसामयिक समस्याओं, विचारात्मक, भावात्मक, ललित विषयों पर निबंध लेखन।

5. पत्र लेखन-

औपचारिक, अनौपचारिक, सामयिक समस्याओं के समाधान हेतु एवं सम्पादक के नाम पत्र

6. हिन्दी साहित्य-

हिन्दी काव्य (पद्य) और उसका विकास

-पद्य साहित्य का विकास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का सामान्य परिचय सहित कवियों का साहित्यिक परिचय (रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष, कलापक्ष)

- आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नईकविता का सामान्य परिचय सहित कवियों का साहित्यिक परिचय (रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष, कलापक्ष)

7. हिन्दी गद्य और उसका विकास

- गद्य साहित्य की विविध विधाएं (निबंध, नाटक, कहानी) और उनका सामान्य परिचय लेखक परिचय (रचनाएं, भाषाशैली)

((ब) भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र

- भाषा सीखना और ग्रहणशीलता
- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त
- भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं • मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका
- भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयां त्रुटियां एवं क्रमबद्धता
- भाषा के चारों कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) का मूल्यांकन
- कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार (दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण

मुख्य भाषा अंग्रेजी Main Language English	120 Questions

A) Understanding of Language

1. Reading Comprehension
   - Two passages (Factual+ Literary/Discursive) of 200 words each followed by short answer type questions.
   - A poem of about 15 lines followed by short questions related to figures of speech, forms of poetry.
   - Interpret tabular and diagrammatic presentation of information.

2. Vocabulary

• One word substitution
   - Opposites
   - Synonyms
   - phrases
   - idioms/proverbs
   - word formation

3. Functional Grammar:
   1. Tenses
   2. Modals
   3. Determiners
   4. Articles
   5. Voices
   6. Narration
   7. Prepositions
   8. Clauses
   9. Transformation of sentences

4. Writing
   - A factual description (in about 40-50 words) of any event or incident e.g. a report or a process based on given input/advertisements and notices/designing or drafting posters.
   - Essay.
   - Writing letter/application based on given inputs. Letter types include:
     1. business or official letters
     2. letters to editors
     3. personal/informal letters
     4. application for a job

B) Pedagogy of Language Development

B.1 – Learning and acquisition - Need for Learning English - Objectives of teaching English - Qualities of a good language teacher - Methods and approaches (Grammar translation, Direct, bilingual, communicative, structural, integrated)
B.2 – Language skills - Listening, Speaking, Reading and Writing skills - Importance of listening and reading - Importance of speaking and writing
B.3 – Perspective and role of grammar in language learning - Parts of Speech - Punctuation marks - Framing questions - Vocabulary and word formation (synonym and antonym, homophones, one word substitution, changing word category).
B.4 – Challenges of teaching language - Planning and implementation (Teaching of Prose, grammar, composition, poetry)
B.5 – Evaluation - learning enhancement programme - Active learning Methodology - CCE - Remedial teaching
B.6 – Teaching learning materials - Textbook preparing exercises based on the textbooks - Multimedia materials (charts, flash cards, models, news paper cuttings, CD, Radio, Tape recorder)

मुख्य भाषा संस्कृत (Sanskrit)	120 प्रश्न

(अ) भाषायी समझ / अवबोध

1. व्याकरण

(क) शब्द रूप- राम, कवि, भानु, लता, पितृ, नदी, वधू, मातृ, फल, वारि, आत्मन् ।
सर्व, तद, एतद् यत् इदम् अस्मद् युष्मदा

(ख) धातु रूप- लट्, लृ, लोट्, लङ., एवं विधिलिङ. (पांच लकार)
(का) परस्मैपद (ख) आत्मनेपद

(ग) सन्धि- संधि और उसके प्रकार स्वर सधि व्यजंन संधि, विसर्ग संधि एवं उनके भेद, संधि विच्छेद एवं संधि युक्त पद बनाना।

(घ) समास- समास की परिभाषा, भेद, समास विग्रह, सामासिक पद ।

(ङ) प्रत्यय- कृत प्रत्यय- (क्त्वा, ल्यप, तुमुन्, क्त, क्तवतु शतृ, शानच् तव्यत् अनीयर)।

(च) तद्धित प्रत्यय- अण, ढक् मतुप् इत् तल, ठकास्त्री प्रत्यय- टाप्, ङीप

(छ) अव्यय -- पुनः, अपि, पुरा, अधुना, ह्यः श्वः, अदय, अधुना, कुत्र, यत्र,तत्र, सर्वत्र, यदा कदा,सर्वदा, उपरि, यथा, तथा अपि

2. संस्कृत निबंध लेखन एवं अनौपचारिक पत्र एवं प्रार्थना पत्र लेखन ।

3. (क) वेद, वेदाग, पुराण, उपनिषद् का सामान्य परिचय।

(ख) रामायण एवं महाभारत का सामान्य परिचय।

4. संस्कृत के प्रतिनिधि काव्यों का परिचय (भास, कालिदास, शूद्रक एवं भवभूति की कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान)

5. कारक एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय।

6. हिन्दी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना।

7. संस्कृत अपठित गद्य एवं अपठित पद्य का हिन्दी अनुवाद एवं पाठ्यांश पर आधारित विविध प्रकार के प्रश्न एक वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, विशेषणविशेष्य अन्विति/पर्याय/ विलोम शब्द ।

(ब) भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षाशास्त्र

- भाषा सीखना और ग्रहणशीलता।
- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त।
- भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं।
- मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका।
- भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयां, त्रुटियां एवं क्रमबद्धता ।
- भाषा के चारों कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) का मूल्यांकन
- कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार (दृश्य एवं श्रव्य) सामग्री, बहुकक्षा स्रोत
- मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण।

मुख्य भाषा उर्दू (Urdu)	120 प्रश्न

1. भाषायी समझ

- गद्य (नसर) की विधाएं
- मकतूब निगारी, दास्तान, अदबी तारीख, मुखतसिर अफसानें, रिपोरताज, इन्शाईया, तन्जो - मजाह, सफर नामा, खाका।
- मुआविन मुताला- यादें, आपबीती मजमून, कहावतें

2. पद्य (नज्में)

- गजले (मसनवी, कसीदा, मरसिया नज्मे रुबाई
  तवील नज्मे अली सरदार जाफरी की वक्त का तराना

3. व्याकरण (कवायद)

हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, हरकात व सकनात,रमूज औकाफ, साबके लाहके, सिफत, तजाद, तजाहुले आरिफाना, हरके अतफ मजाज मुरसिल, कहावते, मुहावरे वाक्य में प्रयोग, तजनीस (ताम, जायद नाकिस) कनाया, लफ व नशर |

4. निबंध लेखन (मजमून)

5. पत्र / प्रार्थना पत्र (खत व दरख्वास्त)

6. गैर दरसी इकतिवास (अपठित) की तशरीह व उस पर आधारित प्रश्न

7. उर्दू साहित्य का इतिहास (गद्य व पद्य का विकास)

भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षाशास्त्र व पढ़ाने के तरीकों पर प्रश्न

- उर्दू शिक्षण की आवश्यकता व उद्देश्य
- अच्छे उर्दू शिक्षक की विशेषताएं
- भाषा शिक्षण के सिद्धांत
- तरीका-ए-तदरीस, नस्र व नज्म की विभिन्न विधाओं का (असनाफ) शिक्षण
- ए उर्दू सीखना और समझना (सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना चारों महारते
- उर्दू भाषा की चारों महारतों का मूल्यांकन
- भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की अहमियत, बच्चों के ज़रिए उर्दू भाषा का प्रयोग
- ज़बानी और तहरीरी (लेखन) में कवायद का इस्तेमाल
- क्लासरूम में तालीमी इस्तेदाद वाले बच्चों को जबान सिखाने में आने वाल
- मुशकिलात दूर करके गलतियों को चुनौती की तरह लेकर पढ़ना सिखाना
- क्लास में किताब, अमदादी अशिया, मल्टीमीडिया मटेरियल समई-बसरी आलात व विभिन् स्तर व कक्षा के बच्चों को पढ़ाना
- खुसीसी तदरीस (विशेष पुनः शिक्षण)
- कवायद (ग्रामर):- इस्म, जमीर, जमीर की किस्में, फेअल फेअल की अकसाम, जिस, जम जुमला सिफत, तज़ाद, साबिका, लाहेका, वाहिद जमा मुजक्कर, मोअन्नस, मुहावरे व लाज़िम मुतअददी, मारूफ मजहूल गजल, कतआ, रुबाई, मसनवी, नज़्म, तशबीह, तल इस्तिआरा, सनअते तजाद मतला, मकता, रदीफ, काफिया वगैरा।
- गैर दस इक्तिबास
- दरख्वास्त और खुतूत नवीसी मजमून नवीसी ।

अपर संचालक

लोक शिक्षण म.प्र.

अध्याय - 3

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

3.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

3.2 (i) आवेदक द्वारा जिस पद की पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उस पद पर सेवारत होना चाहिए।

(ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने अथवा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

(iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.3 **परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री** :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई-आधार मान्य नहीं है।

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales, Digital Watch, Sun glasses and whitener, इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 **लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर** :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं मण्डल के आदेश क्रमांक पीईबी/प-1/712/2020, भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) दिव्यांग तथा सेरिब्रल पल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी । किन्तु दृष्टिबाधित द्वियांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी । सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा के लिए अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित मण्डल कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी, ताकि मण्डल स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके । अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के

सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी ।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता/ प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए । उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :- यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा ।

3.6 **प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया** :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। **आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित समयावधि के उपरांत इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जायेगा, साथ ही इस आशय हेतु प्रेषित किये जाने वाले पत्र का उत्तर न प्रेषित करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किये जायेंगे। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

3.7 **परीक्षा प्रवेश-पत्र** (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 **मूल्यांकन पद्धति** :-

(i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा।

(ii) परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) एवं प्रदर्शित RAW Score समान होने पर ही ''सबमिट'' किया जा सकेगा।

3.8 **अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक** :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

(A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
(ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
(iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
(iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
(v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
(vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(B) हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा। सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहॉ पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा)।

(C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा, ऐसे निरस्त किए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

(D) आपत्तियुक्त प्रश्नों के निराकरण हेतु मंडल द्वारा प्रदाय विकल्प को कुंजी समिति के विषय विशेषज्ञों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

<u>उदाहरण 01</u> :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

<u>उदाहरण 02</u> :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

<u>उदाहरण 03</u> :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

3.9 **प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन** :-

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मण्डल की वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है । लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियॉ ली जा सकेंगी । उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी । अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी । एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञो द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा। अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी । प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि रूपये 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा । मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(ii) बिन्दु क्रमांक 3.8 अ. अनुसार मण्डल द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम ' 'की' ' (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 **अनुचित साधन** (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती हैः-

(अ) <u>**अनुचित साधन** (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में :-</u>

1- परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।

2- परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफुसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।

3- प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।

4- नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।

5- सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।

6- सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।

7- परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना ।

8- परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।

9- ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।

10- उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

11- परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मण्डल द्वारा किये गए डाटा विश्लेषण में असामान्यता परिलक्षित होती है, तो संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध यू. एफ. एम. /वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।

12- परीक्षा उपरांत, परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू. एफ. एम. श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) <u>पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>

1- अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधि के अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी के विरूद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदक एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2- विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग शिक्षक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर सकेगा।

मण्डल द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू. एफ. एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iii) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी ।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 **मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा** :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।

(ii) मंडल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख मण्डल द्वारा जारी आदेश क्र. मण्डल/2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 **न्यायिक क्षेत्राधिकार** :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

<u>खण्ड-ब</u>

3.15 **ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-**

यह पात्रता परीक्षा केवल सेवारत शिक्षकां के लिए है, अतः ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित जानकारी एवं यथाआवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा :-

(i) अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी ।

(ii) आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के जाति/श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र।

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

(v) आवेदक को अपना मूल नियुक्ति आदेश स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक, कार्यरत स्थल का DISE Code की जानकारी भरना अनिवार्य होगा।

(vi) शासकीय शाला में सेवारत शिक्षक को यूनिक आई.डी. / IFMIS Code की जानकारी भी भरना अनिवार्य होगा। निजी विद्यालय के शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य नहीं है।

(vii) आवेदन-पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित विवरण (टेक्स्ट) लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

''**मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो मेरी परीक्षा / परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।**''

3.16 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देशः-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को निर्धारित प्रारूप/ फार्मेट में स्केन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(iv) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(v) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

(vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे ।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

3.17 **एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-**

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा :-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रूटि सुधार के लिखित आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 **<u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>**

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक** /आधार VID **अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा ।
2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे मण्डल द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

3.19 **ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था** :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 **ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं** :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क) :-

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा :-

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध Citizen Services (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत Application क्लिक कर ESB लिंक में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश**/ Instructions तथा परीक्षा **नियम**/Examination Rules उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु Continue बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंको के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 **क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान**:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

3.22 **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

3.23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के

उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 **निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था**

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

(ix) ऐसे आवेदक, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन-पत्र भर लिया है, लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वे निर्धारित संशोधन अवधि में संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे।

3.25 **ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण** :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.27 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.28 **पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन** :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.29 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत मण्डल की E-mail ID "complaint.esb@mp.gov.in" पर भेज सकते है ।

खण्ड-स

3.30 **आवेदन पत्र भरने की समयावधि**

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
21-08-2026	04-09-2026	15	21-08-2026	09-09-2026	20

3.31 **आनलाईन परीक्षा का विवरण**

स.क्रं.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	**प्रथम**	**से प्रारंभ**	02.30 **घंटे**	**प्रातः** 10:00 **से** 12:30 **तक**	150
2	**द्वितीय**			**दोपहर** 03:00 **से** 05:30 **तक**	150

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से चयन/काला करना होगा।

3.32 (i) **परीक्षा शुल्क :-**

स.क्र.	**प्रश्नपत्रों की संख्या**	**सभी श्रेणी/संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क**	**आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क**	**सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये**
01.	**एक**	1000/- **रू. प्रति प्रश्न-पत्र**	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- रू. कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-रू.	**निरंक**

(ii) **संशोधन किये जाने पर देय शुल्क**

स.क्र.	**प्रश्नपत्रों की संख्या**	**आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क**	**आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क**
01.	**एक**	20/-	40/-

3.33 परीक्षा शहर :-

आवेदको को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है । मण्डल द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरो में सीटो की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा । तथापि परीक्षा शहरो एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है । बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/ केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त संबंध में मण्डल का निर्णय एवं बाध्यकारी होगा । अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार

के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित संभावित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-

आनलाईन परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा शहर					
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. खण्डवा	5. नीमच	6. रतलाम
7. रीवा	8. सागर	9. सतना	10. सीधी	11. उज्जैन	

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.34

(1) परीक्षा केन्द्र पर, निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

(2) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यथी का आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(3) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(4) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(5) नियमपुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।

(6) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(7) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिंटआउट यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा।

(8) आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा की नियमपुस्तिका का भली-भांति अवलोकन/अध्ययन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आप संबंधित परीक्षा की नियमपुस्तिका में उल्लेखित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं, तत्पश्चात ही आवेदन पत्र भरें।

(9) यह आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वह अपना आवेदन पूरी तरह सावधानी के साथ भरें। आवेदन-पत्र में अन्य प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर नियमपुस्तिका में उल्लेखत प्रावधान/प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार निर्धारित समयावधि में संभव होगा। त्रुटि/प्रविष्टि में परिवर्तन/सुधार मंडल स्तर पर संभव नहीं है। इस संबंध में मंडल कार्यालय में प्राप्त आवेदन अमान्य किये जाते हैं तथा इन्हें नस्तीबद्ध करते हुए प्रतिउत्तर नहीं दिया जाता है।

(10) कतिपय अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) में त्रुटि परिलक्षित होने पर परिवर्तन/संशोधन हेतु आवेदन करते हैं, जबकि यह त्रुटि उनके द्वारा आवेदन पत्र भरने में की गई त्रुटि एवं समय-सीमा में सुधार न करने का परिणाम होती है, अतः इस संबंध में कोई भी आवेदन/पत्राचार तत्समय मंडल द्वारा मान्य किया जाना संभव नहीं होता है।

(11) समूह परीक्षाओं में कतिपय स्थितियॉ ऐसी बन सकती है, जिसमें अलग-अलग पदों/प्रश्न पत्र होने पर पृथक-पृथक प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) जारी किए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न-पत्र हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) लेकर जाना आवश्यक होगा।

(12) किसी भी तकनीकी त्रुटि होने के कारण परीक्षा प्रारंभ होने में विलंब होने की स्थिति में भी सभी अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र हल करने हेतु निर्धारित समयावधि उपलब्ध कराई जाती है, अतः ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को बिना किसी चिंता के परीक्षा संचालन में पूर्ण सहयोग करना चाहिए।

(13) मंडल का कार्यक्षेत्र केवल विभाग की मांग पर परीक्षा का आयोजन कर परीक्षा परिणाम संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने तक सीमित है। नियुक्ति संबंधी कार्यवाही का संपूर्ण दायित्व संबंधित विभाग का है।

(14) उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि मंडल द्वारा विभागों के मांग-पत्रों के आधार पर प्रवेश, पात्रता, चयन एवं भर्ती परीक्षाएँ पूर्ण पारदर्शी एवं उत्कृष्ट तकनीकी मापदंडों के अनुरूप आयोजित की जाती है, जिनकी यथासंभव सुरक्षा एवं शुचिता सुनिश्चित की जाती है। अतः इस संबंध में अगर किसी के द्वारा अवांछित लाभ उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, तो अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह इसकी सूचना समस्त जानकारियों सहित तत्काल मंडल कार्यालय को प्रदान करें। परीक्षा से संबंधित अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित होने/सहयोग प्रदान करने/तथ्य छुपाने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।